

हिमाचल प्रदेश स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित /—
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2018 का विधेयक संख्यांक 6

**सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन)
विधेयक, 2018**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता, अध्यापन और उच्चतर शिक्षा पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" नामक क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनिमित्त हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "विद्या परिषद्" से, धारा 26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ख) "प्रबन्ध बोर्ड" से, धारा 24 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) "परिसर (कैम्पस)" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;
- (घ) "क्लस्टर महाविद्यालय" से, अग्रणी (प्रमुख) महाविद्यालय और इसके घटक महाविद्यालय अभिप्रेत हैं;
- (ङ) "महाविद्यालय" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इसके विशेषाधिकार प्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत स्वायत्त या सहबद्ध महाविद्यालय भी हैं;
- (च) "क्लस्टर विश्वविद्यालय" से, धारा 3 के अधीन स्थापित सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

- (छ) "घटक महाविद्यालय" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय का गठन करने वाले महाविद्यालय अभिप्रेत हैं और जो इस रूप में धारा 3 में उल्लिखित हैं;
- (ज) "कर्मचारी" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इसके शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;
- (झ) "संकाय" से सम्बद्ध विषयों के समूह से समाविष्ट संकाय अभिप्रेत है;
- (ञ) "फीस" से, यथास्थिति, क्लस्टर विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी नाम से ज्ञात धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;
- (ट) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ठ) "शासी निकाय" से, धारा 23 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;
- (ड) "विभागाध्यक्ष" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का आचार्य या सह-आचार्य की पंक्ति का प्रमुख (हैड) अभिप्रेत है;
- (ढ) "उच्चतर शिक्षा" से, दस जमा दो स्तर से ऊपर की ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;
- (ण) "छात्रावास" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;
- (त) "अग्रणी (प्रमुख) महाविद्यालय" से, राजकीय वल्लभ महाविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (थ) "एम. एल. एस. एम. महाविद्यालय" से, महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल महाविद्यालय सुन्दरनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (द) "अधिसूचना" से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ध) "बाह्य परिसर (ऑफ कैम्पस)" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय का इस द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें क्लस्टर विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हों;
- (न) "प्रधानाचार्य" से, महाविद्यालय का प्रमुख (हैड) या तत्समय सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (प) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (फ) "विनियमन निकाय" से, उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक स्तर सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्तें अधिकथित करने हेतु, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, स्थापत्य कला परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग आदि अभिप्रेत है;

- (ब) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (भ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (म) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए क्लस्टर विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (य) "छात्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्राप्त करने हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम लेने के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रविष्ट है;
- (यक) "अध्ययन केन्द्र" से, ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो, छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है; और
- (यख) "शिक्षक" के अन्तर्गत क्लस्टर विश्वविद्यालय में या क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इसके विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति हैं।

3. क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.—(1) हिमाचल प्रदेश राज्य में सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक क्लस्टर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) क्लस्टर विश्वविद्यालय का मुख्यालय सुन्दरनगर, बासा और द्रंग स्थित नारला परिसरों सहित मण्डी में होगा। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय, मण्डी अग्रणी (प्रमुख) महाविद्यालय होगा और एम.एस.एल.एम. महाविद्यालय, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, बासा और राजकीय महाविद्यालय द्रंग स्थित नारला क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश के घटक महाविद्यालय होंगे।

(3) क्लस्टर विश्वविद्यालय, सहबद्ध, स्वायत्त और घटक महाविद्यालयों से समाविष्ट अध्यापन करवाने और सहबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय होगा इसमें एक कुलाधिपति, एक कुलपति, शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् होगी।

(4) क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी में और इसके परिसरों (कैम्पसिज़) में भी अपनी अवसंरचना निर्मित करने के लिए सक्षम होगा। अग्रणी (प्रमुख) महाविद्यालय और घटक महाविद्यालयों के शैक्षणिक साधनों को पारस्परिक आधार पर सांझा किया जा सकेगा।

(5) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, शासी निकाय प्रबन्ध बोर्ड के प्रथम सदस्य और अन्य समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बन सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारित करते रहते हैं, एतद् द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय के नाम से एक निकाय का गठन करेंगे।

(6) क्लस्टर विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा इसी नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—क्लस्टर विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चतर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- (ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना ;

- (ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत् शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;
- (घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;
- (ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;
- (च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;
- (छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय क्लस्टर विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;
- (ज) लागू नियमों और विनियमों के अध्यधीन ऑफ कैम्पस केन्द्र स्थापित करना;
- (झ) क्लस्टर विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्देश्यों में सुभिन्न योगदान, अर्थात् परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमित: प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन आदि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टता भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगना; और
- (ञ) सुदृढ़ अन्तर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधार मुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना।

से,—

- 5. क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रभाव.—**इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख पर और
- (क) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सम्पत्तियां, चल और अचल, जहां तक सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश की अधिकारिता का सम्बन्ध है, क्लस्टर विश्वविद्यालय में निहित हो जाएंगी;
- (ख) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार और दायित्व, जहां तक क्लस्टर विश्वविद्यालय की अधिकारिता का सम्बन्ध है, क्लस्टर विश्वविद्यालय में अन्तरित हो जाएंगे;
- (ग) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का कुलपति क्लस्टर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया समझा जाएगा और तीन मास की अवधि के लिए या जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रथम कुलपति नियुक्त नहीं किया जाता, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा; और
- (घ) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सहबद्ध क्लस्टर महाविद्यालय, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से स्वतः ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, से असहबद्ध हो जाएंगे और इस अधिनियम के अधीन स्थापित "सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के क्लस्टर महाविद्यालय बन जाएंगे।

6. क्लस्टर विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होना.—क्लस्टर विश्वविद्यालय, लिंग, जाति, वर्ग या पंथ को विचार में लाए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा और क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी प्रमाण पत्र, डिप्लोमे या उपाधि का या क्लस्टर विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवा करने का कोई पद धारण करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग करने या धारित करने का हकदार बनाने के आशय से किसी व्यक्ति पर कोई परीक्षा, चाहे किसी भी धार्मिक विश्वास या वृत्ति की हो, किसी क्लस्टर विश्वविद्यालय के लिए अंगीकृत करना विधिपूर्ण नहीं होगा सिवाय जहां ऐसी परीक्षा परिनियमों

द्वारा विशिष्टतया विहित की गई है या किसी विशिष्ट उपकृति, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गई है, जहां ऐसी परीक्षा ऐसी उपकृति का सृजन करते हुए किसी वसीयती या अन्य लिखत द्वारा उसकी शर्त बनाई गई हो।

7. क्लस्टर विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.—क्लस्टर विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

- (क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें क्लस्टर विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उपबन्ध करना;
- (ख) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;
- (ग) निवेश-बाह्य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;
- (घ) किसी विधि के अधीन किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना तथा डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और व्यक्तियों को उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापस लेना;
- (ङ) इसकी अधिकारिता में आने वाली विभिन्न संस्थाओं को सहबद्ध करना;
- (च) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें क्लस्टर विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (छ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करना। ऐसे कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक मास उनके बैंक खातों में जमा किया जायेगा;
- (ज) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (झ) हॉलों सहित, छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हॉलों सहित छात्रावासों जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापस लेना;
- (ञ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;
- (ट) क्लस्टर विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;
- (ठ) क्लस्टर महाविद्यालयों और इसकी अधिकारिता के अधीन अन्य सहबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;
- (ड) किसी संस्था को, किसी प्रयोजन के लिए, पूर्णतया या आंशिक रूप से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता को प्रत्याहृत करना;
- (ढ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए

देश से बाहर आधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता-केन्द्रों के साथ दोहरी व्यवस्था विकसित और अनुरक्षित करना;

- (ण) क्लस्टर विश्वविद्यालय के समान प्रयोजनों और उद्देश्यों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय प्राधिकरण या संगम या किसी लोक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर सहमति बन जाए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, सहयोग करना;
- (त) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अध्याधीन अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना;
- (थ) क्लस्टर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित संपत्ति में, किसी भी रीति में, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि करने हेतु आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;
- (द) क्लस्टर विश्वविद्यालय में किसी संस्था के निगमन और उसके अधिकारों, संपत्तियों और दायित्वों को अधिकार में लेने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम के विरुद्ध न हो, करार करना;
- (ध) ऐसी फीस और अन्य प्रभार, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, की मांग करना और संदाय प्राप्त करना;
- (न) क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए माता-पिता और छात्रों के सिवाय, दान और अनुदान प्राप्त करना तथा कोई संपत्ति, चल या अचल, जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारित करना, प्रबंधित करना और व्ययनित करना और निधियों का ऐसी रीति में विनिधान करना, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय उचित समझे;
- (प) अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था करना, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;
- (फ) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकें हैं, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएं, के मुद्रण, प्रतिकृति और प्रकाशन की व्यवस्था करना;
- (ब) क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करना;
- (भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य करना जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या अनुकूल हो;
- (म) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;
- (य) देश के भीतर और बाहर पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियों, डिप्लोमों या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबंध करना;
- (यक) क्लस्टर विश्वविद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों में समन्वित पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;
- (यख) केन्द्रीय सरकारी विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सन्धियों और विनियमों के पूर्ण करने के पश्चात् और राज्य सरकार के विनिर्दिष्ट अनुमोदन को

अभिप्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालयों, संस्थाओं, ऑफ-कैम्पस केन्द्रों, ऑफ-शोर कैम्पसों, अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना या दूरस्थ शिक्षा प्रारम्भ करना; और

(यग) पारस्परिक स्वीकार्य निबंधनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग मांगना।

8. साधारण निधि.—क्लस्टर विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे, अर्थात्:—

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;
- (ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;
- (ग) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा वचनबंध किए गए परामर्शी और अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय;
- (घ) माता-पिता और छात्रों के सिवाय, वसीयत, दान, विन्यास और कोई अन्य अनुदान; और
- (ङ) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य समस्त राशियां।

9. साधारण निधि का उपयोजन.—साधारण निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) क्लस्टर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान कर्मचारिवृंद के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय हेतु और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदान, उपदान और अन्य प्रसुविधाओं के संदाय के लिए ;
- (ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सेवाओं, जिनके अंतर्गत विद्युत, दूरभाष आदि सेवाएं हैं, के लिए उपगत किए जाने वाले व्ययों के लिए;
- (ग) करों या स्थानीय उद्ग्रहणों, जहां कहीं लागू हों, के संदाय के लिए;
- (घ) क्लस्टर विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए;
- (ङ) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिनके अंतर्गत उन पर प्रभारित ब्याज भी है, के संदाय के लिए;
- (च) शासी निकाय, प्रबन्ध-बोर्ड और विद्या परिषद् आदि के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;
- (छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;
- (ज) इस धारा के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;
- (झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिनमें क्लस्टर विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;
- (ञ) चल और अचल परिसम्पत्तियों के क्रय के प्रयोजन के लिए;
- (ट) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में उपगत किसी व्यय के संदाय के लिए; और

(ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित हो:

परन्तु क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाए, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उपखण्ड (ड) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी:

परन्तु यह और कि क्लस्टर विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भी भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह के लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय क्लस्टर विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात क्लस्टर विश्वविद्यालय से प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक के उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्भावपूर्वक संदाय को निवारित नहीं करेगी।

10. क्लस्टर विश्वविद्यालय को कर्मचारियों का अन्तरण.—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे प्रारम्भ पर एक विकल्प, कि क्या वे चाहते हैं कि उनकी सेवाएं क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्रबन्धाधीन हों, का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। ऐसे विकल्प क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किए जा सकेंगे।

(2) ऐसे कर्मचारियों के विद्यमान अधिकार और सेवा शर्तें, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय में सेवा के लिए विकल्प देते हैं, संरक्षित किए जाएंगे। किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में की गई सेवा को, क्लस्टर विश्वविद्यालय को अन्तरित करने से पूर्व को क्लस्टर विश्वविद्यालय में की गई सेवा समझा जाएगा :

परन्तु इस धारा के उपबन्धों के कार्यान्वयन के मामले में किसी विवाद या कठिनाई की दशा में मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

11. कुलाधिपति की कार्यवाहियों या विनिश्चयों को बातिल करने की शक्ति.—इस अधिनियम के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति लिखत में आदेश द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरण (अथॉरिटी) की कार्यवाहियों को या क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के विनिश्चय, जो इस अधिनियम या परिनियमों या तद्धीन बनाए गए अध्यादेशों के अनुरूप नहीं हैं, को बातिल कर सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, ऐसा आदेश करने से पूर्व, यथास्थिति, क्लस्टर विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकरण (अथॉरिटी) या अधिकारी से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और यदि उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई कारण दर्शाया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा।

12. राज्य सरकार की जांच करने की शक्तियां.—राज्य सरकार क्लस्टर विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के प्रशासन और वित्त से सम्बद्ध किन्हीं मामलों पर अपने किसी अधिकारी या अभिकरण द्वारा जांच करवा सकेगी और ऐसी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी तथा राज्य सरकार उसका परीक्षण करने के पश्चात् रिपोर्ट को अग्रेषित करेगी और किसी कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, कुलपति का हटाया जाना भी है, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो धारा 15 की उप धारा (5) में अन्तर्विष्ट है, तथा कुलाधिपति तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

13. क्लस्टर विश्वविद्यालय के अधिकारी.—क्लस्टर विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) वित्त अधिकारी;

(घ) रजिस्ट्रार;

(ङ) परीक्षा—नियंत्रक; और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनको परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाए।

14. कुलाधिपति.—(1) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से क्लस्टर विश्वविद्यालय और इसके शासी निकाय का प्रमुख होगा। जब वह उपस्थित हो तो क्लस्टर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति की ऐसी शक्तियां होंगी, जो उसको इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त की जाएं।

(4) कुलाधिपति, कुलपति को अधिनियम या परिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे।

15. कुलपति की नियुक्ति.—(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सन्निधियों या विनियमों के अनुसार सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर का व्यक्ति क्लस्टर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलपति को कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। कुलपति, क्लस्टर विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(3) उपधारा (4) और (8) में यथा अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय, कुलपति, कुलाधिपति के प्रसादपर्यन्त के अध्यधीन उस तारीख से, जब वह कार्यग्रहण करता है, तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा और अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु कुलपति, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के होते हुए भी, तब तक अपने पद को धारण करना जारी रखेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह कार्यग्रहण नहीं कर लेता है।

(4) कोई व्यक्ति, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या यदि नियुक्त किया गया है तो पद धारण नहीं करेगा या पद धारण करना जारी नहीं रखेगा।

(5) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कुलपति को निलंबित कर सकेगा:—

(क) जहां उप-धारा (8) के अधीन जांच अनुध्यात है या लंबित है; या

(ख) जहां कुलाधिपति की राय में, उसने स्वयं को क्लस्टर विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त किया हो; या

- (ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध के सम्बंध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन है; या
- (घ) जहां उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, जाँच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उदाहरणार्थ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या साक्षियों, आदि को प्रभावित करने का संदेह।
- (6) निलम्बनाधीन कुलपति छुट्टी वेतन, जो कुलपति द्वारा तब आहरित किया जाता यदि वह अर्ध औसत वेतन पर या अर्ध वेतन छुट्टी पर होता और इसके अतिरिक्त ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो, के बराबर की रकम के निर्वाह भत्ते का हकदार होगा :
- (7) जहाँ निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो, कुलाधिपति प्रथम तीन मास की अवधि के पश्चात् किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में फेरफार करने लिए निम्नानुसार सक्षम होगा;—
- (क) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण न बढ़ी हो, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जा सकेगी, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी;
- (ख) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण बढ़ी है, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रकम से कटौती की जा सकेगी जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी; और
- (ग) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ाई गई या घटाई गई रकम पर आधारित होगी।
- (8) उप-धारा (6) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति प्रमाण-पत्र नहीं देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में लगा हुआ नहीं है।
- (9) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने का लोप करता है या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना क्लस्टर विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकारक है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकेगा:
- परन्तु धारा 12 के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उप-धारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु कुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (10) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित लिखित में हस्ताक्षरित एक मास के नोटिस द्वारा पद त्याग कर सकेगा। कुलाधिपति नोटिस की अवधि को अधित्यक्त कर सकेगा तथा राज्य सरकार के परामर्श से त्यागपत्र को तुरन्त स्वीकार कर सकेगा।
- 16. कुलपति की शक्तियां और कृत्य.—**(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा। वह, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा।
- (2) कुलपति, अपने पद की हैसियत से प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसका वह सदस्य हो सकेगा, का अध्यक्ष भी होगा किन्तु वह मतों की बराबरी की दशा के सिवाय, मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(3) कुलपति के पास प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या आयोजित करवाने की शक्तियां होंगी।

(4) कुलपति क्लस्टर विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकलापों, अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा तथा अनुशासन को सम्यक् रूप से बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों और परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी इस निमित्त आवश्यक हों।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं या प्रबन्ध बोर्ड या कुलाधिपति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

17. वित्त अधिकारी.—(1) वित्त अधिकारी क्लस्टर विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जैसे सेवा की शर्तों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) वित्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, जैसे परिनियमों और विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

18. रजिस्ट्रार की नियुक्ति और कर्तव्य.—(1) एक रजिस्ट्रार होगा जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के शासी निकाय और प्रबंध बोर्ड का पदेन सदस्य—सचिव होगा।

(2) रजिस्ट्रार के पद पर चयन के लिए पात्र व्यक्ति के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं अवश्य होनी चाहिए,—

(क) किसी संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि सहित क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे सहबद्ध महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; या

(ख) किसी विश्वविद्यालय में सह—आचार्य के रूप में अध्यापन अनुभव सहित पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव; या

(ग) किसी संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि सहित विश्वविद्यालय या स्कूल शिक्षा बोर्ड में उप—रजिस्ट्रार के रूप में या इसके समतुल्य पद पर कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव; या

(घ) किसी संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि सहित केन्द्रीय या राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवा (प्रतिनियुक्ति पर, यदि आवश्यक हो) में पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव; या

(ङ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य अर्हता सहित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में कम से कम दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

(3) रजिस्ट्रार को ऐसा वेतन संदत्त किया जाएगा जो नियुक्ति के समय पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए।

(4) क्लस्टर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, क्लस्टर विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और क्लस्टर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो प्रबंध बोर्ड उसके प्रभार में सुपुर्द करे, का अभिरक्षक होगा।

(5) क्लस्टर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड और क्लस्टर विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्ययन बोर्ड की बैठकें आयोजित करने हेतु अपने हस्ताक्षराधीन नोटिस जारी करेगा।

(6) रजिस्ट्रार, अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कुलपति के तुरन्त निदेश और नियंत्रण के अधीन रहेगा और कुलपति को ऐसी सहायता प्रदान करेगा जैसी उसके शासकीय कर्तव्यों के अनुपालन में उसके द्वारा अपेक्षित हो।

(7) क्लस्टर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो परिनियमों और विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(8) रजिस्ट्रार, कुलपति के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन विहित अपनी किन्हीं शक्तियों का क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा।

19. परीक्षा नियंत्रक.—(1) रजिस्ट्रार के अतिरिक्त, प्रबंध बोर्ड किसी व्यक्ति को, जो रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित है, परीक्षा नियंत्रक का पद या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से धारित करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए निबन्धन और शर्तें और संदत्त किया जाने वाला वेतन ऐसा होगा जैसा नियुक्ति के समय प्रबंध बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए।

(3) परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं के संचालन हेतु व्यवस्थाओं की बाबत रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करेगा और प्रबंध बोर्ड उसे ऐसे अन्य कर्तव्य और कृत्य भी सौंप सकेगा जो वह उचित समझे।

(4) परीक्षा नियंत्रक कुलपति के तुरन्त निदेश के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(5) प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक सम्बद्ध क्लस्टर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन हेतु समस्त व्यवस्थाएं करेगा।

(6) प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक परीक्षा से संबन्धित समस्त कार्य जैसे कि उत्तर-पुस्तिकाओं और प्रश्न-पत्रों का प्रेषण और अभिवहन, उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परिणामों का सारणीकरण, परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्र के विरुद्ध शिकायतें, अनुचित साधनों का उपयोग, परिणामों का प्रकाशन और पुनःजांच या पुनर्मूल्यांकन और अन्य सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करेगा।

20. संकायाध्यक्ष और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.—(1) प्रत्येक घटक महाविद्यालय में एक संकायाध्यक्ष और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष होगा, जिसे ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) उप-धारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को संदेय वेतन और भत्ते, सेवा की शर्तें और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और अनुपालन किए जाने वाले कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

21. अन्य अधिकारी.—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके कृत्यों (कार्यकरण) के लिए आवश्यक हों।

(2) क्लस्टर विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

22. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(क) शासी निकाय;

- (ख) प्रबंध बोर्ड;
- (ग) विद्या परिषद्;
- (घ) वित्त समिति;
- (ङ) भवन निर्माण और संकर्म समिति;
- (च) अध्ययन बोर्ड; और
- (छ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

23. शासी निकाय.—(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्:—

- (क) कुलाधिपति;
 - (ख) कुलपति;
 - (ग) राज्य सरकार के वित्त और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव;
 - (घ) निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश;
 - (ङ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के समस्त घटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
 - (च) चक्रानुक्रम द्वारा कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले क्लस्टर विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष;
 - (छ) कुलपति के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले स्वायत्त या सहबद्ध महाविद्यालय के दो प्रधानाचार्य;
 - (ज) कुलाधिपति के दो नामनिर्देशिती;
 - (झ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति;
 - (ञ) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो प्रतिनिधि जो उक्त विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट रीति में इसके सदस्यों में से चयनित किए जाएं; और
 - (ट) रजिस्ट्रार पदेन सदस्य—सचिव होगा।
- (2) शासी निकाय क्लस्टर विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।
- (3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—
- (क) सामान्य अधीक्षण करना और निदेश देना और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबन्धित समस्त ऐसी शक्तियों के प्रयोग द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियन्त्रण रखना;
 - (ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

- (ग) क्लस्टर विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;
- (घ) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;
- (ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी क्लस्टर विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारु रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो क्लस्टर विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में सरकार को सिफारिश करना; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति ग्यारह सदस्यों से होगी।

24. प्रबन्ध बोर्ड.—(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

- (क) कुलपति;
- (ख) राज्य सरकार के वित्त और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव;
- (ग) निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश;
- (घ) घटक महाविद्यालयों के समस्त प्रधानाचार्य;
- (ङ) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम द्वारा दो संकायाध्यक्ष;
- (च) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो प्रख्यात शिक्षाविद्;
- (छ) वरिष्ठता के आधार पर आचार्य या सह-आचार्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा दो व्यक्ति;
- (ज) अध्यापनेतर कर्मचारियों का एक वरिष्ठतम प्रतिनिधि;
- (झ) विश्वविद्यालय छात्र संघ का प्रधान; और
- (ञ) रजिस्ट्रार, सदस्य—सचिव होगा।

(2) कुलपति प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(3) प्रबंध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति दस सदस्यों से होगी।

25. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.—प्रबन्ध बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होगी; अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन परिनियम बनाना, उनका संशोधन और निरसन करना;

(ख) विनियम बनाना;

- (ग) वित्त समिति द्वारा विरचित वित्तीय प्राक्कलनों को अनुमोदित करना;
- (घ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के विकास तथा विस्तार की योजनाओं को अनुमोदित करना;
- (ङ) वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और संकल्प पारित करना;
- (च) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकारियों और शिक्षकों को नियुक्त करना जो संयुक्त रजिस्ट्रार, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सह-आचार्य के पंक्ति से नीचे के न हों और उनके कर्तव्य परिनिश्चित करना:

परन्तु कोई भी अधिकारी या शिक्षक प्रबन्ध बोर्ड द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक क्लस्टर विश्वविद्यालय के अनुमोदित बजट में उनके वेतन के लिए उपबन्ध न किया गया हो:

परन्तु इस धारा में निर्दिष्ट अधिकारियों और शिक्षकों के पदों पर समस्त नियुक्तियां प्रबंध बोर्ड द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएंगी, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु यह और कि कुलपति, इस धारा में निर्दिष्ट शिक्षकों की नियुक्तियां, कार्य करने के लिए, छः मास से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में कर सकेगी और यदि चयन समिति की सिफारिशें छः मास की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं तो कुलपति उसके द्वारा की गई कोई नियुक्ति, यदि कोई हो, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से शैक्षणिक सत्र के दौरान विस्तारित कर सकेगा;

- (छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जैसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, इसे प्रदत्त किए जाएं या अधिरोपित किए जाएं;
- (ज) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समितियां गठित करना और उन्हें ऐसे कर्तव्य सौंपना, जो ये उचित समझे;
- (झ) अपनी ऐसी शक्तियों को क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करना, जो ये उचित समझे, किन्तु ऐसा प्रत्यायोजन प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जाए; और
- (ञ) क्लस्टर विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम और परिनियम और तद्धीन बनाए गए विनियमों में अन्यथा यथा उपबन्धित नहीं है।

26. विद्या परिषद्.—क्लस्टर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित से गठित होगी:—

- (क) कुलपति;
- (ख) समस्त घटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
- (ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वायत्त महाविद्यालयों या सहबद्ध महाविद्यालय के दो प्रधानाचार्य ;
- (घ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष;
- (ङ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सम्बद्ध क्लस्टर विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों से चार आचार्य या सह-आचार्य जो प्रधानाचार्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विषयों से अन्यथा विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सम्बद्ध क्लस्टर विश्वविद्यालयों के स्वायत्त महाविद्यालयों या सहबद्ध महाविद्यालयों से दो आचार्य या सह-आचार्य जो प्रधानाचार्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विषयों से अन्यथा विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं; और

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य में स्थापित विश्वविद्यालय के दो आचार्य या सह-आचार्य।

27. विद्या परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य.—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे; अर्थात्:—

(क) क्लस्टर विश्वविद्यालय में अध्यापन और परीक्षाओं के मानकों को विनियमित करना और नियन्त्रित करना;

(ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अध्ययन का पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट करना;

(ग) शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड के नियन्त्रणाधीन, संकाय के गठन के लिए स्कीमें विरचित करना, उनमें उपान्तरण करना या उनका पुनरीक्षण करना और संकायों को विषय सौंपना;

(घ) संकायों के लिए शिक्षक या विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट करना;

(ङ) क्लस्टर विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और उसमें लगे व्यक्तियों से ऐसे अनुसंधानों पर रिपोर्टों की अपेक्षा करना;

(च) शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड को शैक्षिक विषयों पर सलाह देना; और

(छ) घटक, स्वायत्त और सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए व्यवस्था करने हेतु क्लस्टर विश्वविद्यालय के उच्च प्राधिकारियों को प्रस्ताव बनाना।

(2) क्लस्टर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् को विद्यापरिषद् के सदस्यों की एक स्थायी समिति नियुक्त करने की शक्तियाँ होंगी, जिनमें से कम से कम दो तिहाई सदस्य क्लस्टर विश्वविद्यालय के आचार्य, सह आचार्य, प्रधानाचार्य या घटक, स्वायत्त और सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक होंगे, जो आचार्य या सह आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों, और या उन्हें अपनी ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेंगी जैसी यह उचित समझे। स्थायी समिति के पास विचाराधीन किसी विशिष्ट मामले पर परामर्श के लिए जब कभी आवश्यक हो, विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की शक्ति होगी।

28. वित्त समिति.—(1) वित्त समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित होगी, अर्थात्:—

(क) कुलपति अध्यक्ष;

(ख) प्रधान सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार
या उनका नाम निर्देशिती
जो विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार
की पंक्ति से नीचे का न हो सदस्य;

(ग) सचिव (उच्च शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार
या उनका नाम निर्देशिती
जो विशेष सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार
की पंक्ति से नीचे का न हो सदस्य;

- (घ) समिति के दो सदस्य अध्यक्ष द्वारा घटक महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे
- (ङ) रजिस्ट्रार
- (च) वित्त अधिकारी
- (2) वित्त समिति एक वर्ष में अधिमानतः प्रबन्ध बोर्ड की बैठक से पूर्व साधारणतया चार बार बैठक करेगी।
- (3) वित्त समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।
- (4) वित्त समिति की बैठकों की गणपूर्ति वित्त समिति के चार सदस्यों से होगी।
- (5) वित्त समिति सभी वित्तीय मामलों पर प्रबन्ध बोर्ड को सलाह देगी और उसकी शक्तियां निम्नलिखित होंगी,—
- (क) क्लस्टर विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट प्राक्कलनों की जांच करना और उस पर प्रबन्ध बोर्ड को सलाह देना;
- (ख) वार्षिक लेखा परीक्षा और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की जांच करना;
- (ग) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और विश्वविद्यालय के वित्त से सम्बन्धित सभी मामलों पर प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिशें करना;
- (घ) व्यय के उन सभी प्रस्तावों का परीक्षण करना और प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिशें करना जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है या जिसमें बजट में प्रदान की गई राशि से अधिक खर्च अन्तर्वर्तित है;
- (ङ) वेतनमान के संशोधन से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों पर विचार करना, विभिन्न समितियों के सदस्यों के मानदेय का निर्धारण करना, यात्रा भत्ता, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस और विशेषज्ञों, पेपर सैटर्स, परीक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं आदि का पारिश्रमिक; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कृत्यों का पालन करना जो उस पर विनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।

29. सहबद्धता के लिए शर्त.—क्लस्टर विश्वविद्यालय से अन्य महाविद्यालयों से सम्बद्धता की शर्तें ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

30. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि.—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, शिक्षकों, लिपिकीय कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो यह उचित समझे।

(2) जहां ऐसी किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का इस प्रकार गठन किया गया है या जहां ऐसी किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का किसी महाविद्यालय द्वारा उन नियमों के अधीन गठन किया गया है, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से बनाए गए हैं।

31. भवन निर्माण और संकर्म समिति.—एक भवन निर्माण और संकर्म समिति होगी और इसका गठन और शक्तियां ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

32. अध्ययन बोर्ड.—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय में उपबन्धों के अनुसार, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, संकाय में शामिल विषय या विषयों के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) प्रत्येक अध्ययन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थात:—

- (क) अध्ययन बोर्ड को समनुदेशित विषय, यदि कोई है, में क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभाग के आचार्य;
- (ख) अध्ययन बोर्ड को समनुदेशित विषय, यदि कोई है, में क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभाग के सह आचार्य;
- (ग) वरिष्ठतम सह आचार्य, यदि प्रत्येक घटक, महाविद्यालय से सम्बद्ध विषय में विभाग से कोई आचार्य नहीं है;
- (घ) वरिष्ठतम सह आचार्य, यदि प्रत्येक घटक स्वायत्त या सहबद्ध महाविद्यालय से सम्बद्ध विषय में विभाग से कोई आचार्य नहीं है;
- (ङ) एक व्यक्ति, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी भी सहबद्ध या घटक महाविद्यालय या क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभाग में शिक्षक नहीं है, जो संकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट हो:

परन्तु जहां यह पाया जाता है कि किसी भी विषय में अध्ययन बोर्ड में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कुलपति महाविद्यालयों या क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभागों से विषय में तीन सदस्यों के विस्तार तक शिक्षकों के सहयोजन को अधिकृत कर सकेगा।

(3) विभाग के अन्य समस्त आचार्यों में वरिष्ठ क्लस्टर विश्वविद्यालय विभाग का प्रमुख, संयोजक होगा, और यदि किसी विषय में क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभाग में आचार्य नहीं है, तो अध्ययन बोर्ड का सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्ययन बोर्ड का संयोजक होगा।

(4) अध्ययन बोर्ड के सदस्यों के पद के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी इस निमित्त परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(5) जहां अध्ययन बोर्ड में एक से अधिक विषय समाविष्ट है वहां कुलपति बोर्ड को उसी रूप में गठित कर सकेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड में सम्मिलित प्रत्येक विषय को इसमें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिल जाए :

परन्तु इस प्रकार गठित बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या दस से अधिक नहीं होगी ।

(6) इस धारा या तद्धीन बनाए गए किसी परिनियम या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड हो सकेगा जिसमें स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है और विषय या विषयों के लिए एक स्नातकपूर्व अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें स्नातक पूर्व शिक्षा दी जाती है। इन बोर्डों की संरचना ऐसी होगी, जैसी कुलपति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जाए ।

33. अध्ययन बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.—(1) निम्नलिखित के सम्बन्ध में सम्बद्ध संकाय को सुझाव देने के लिए अध्ययन बोर्ड का कर्तव्य होगा कि;—

- (क) शिक्षण के विषय या विषयों के लिए पाठ्यक्रम;

- (ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुमत विषयों के संयोजन;
- (ग) अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों की पहचान;
- (घ) पेपर सेटर्स और परीक्षकों की नियुक्ति; और
- (ङ) विद्या परिषद या सम्बद्ध संकाय द्वारा इसे निर्दिष्ट कोई मामला;
- (2) अध्ययन बोर्ड, ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन भी करेगा जो परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

34. क्लस्टर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण .—क्लस्टर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

35. निरर्हताएं.—कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह—

- (क) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या
- (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या
- (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या
- (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या
- (ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

36. रिक्तियों से क्लस्टर विश्वविद्यालय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.—इस अधिनियम के अधीन क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

- (क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
- (ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या
- (ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई त्रुटि या अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

37. समितियां.—क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारी ऐसे निर्देश-निबन्धनों के साथ समितियों का गठन कर सकेंगे जो उन विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हैं जो ऐसी समितियों द्वारा किए जाने वाले हैं। ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

38. प्रथम परिनियम.—(1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम निम्नलिखित सभी मामलों या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां और कृत्य;

- (ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों और उनकी शक्तियां तथा कृत्य ;
- (ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबन्धन तथा शर्तों और उनकी शक्तियां और कृत्य ;
- (घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबन्धन और शर्तों तथा इनकी शक्तियां और कृत्य;
- (ङ) कर्मचारियों, विद्यार्थियों और क्लस्टर विश्वविद्यालय के बीच विवाद की दशा में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;
- (च) ट्यूशन फीस के संदाय से विद्यार्थियों को छूट, उन्हें छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;
- (छ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित प्रवेश नीति के सम्बन्ध में उपबन्ध;
- (ज) विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के विषय में उपबन्ध; और
- (झ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में (स्थानों) सीटों की संख्या के सम्बन्ध में उपबन्ध ।

(2) प्रथम परिनियम सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाएंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

39. पश्चातवर्ती परिनियम.—(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय के पश्चातवर्ती परिनियम निम्नलिखित सभी मामलों या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) क्लस्टर विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;
- (ख) लेखा नीति तथा वित्तीय प्रक्रिया;
- (ग) क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;
- (घ) नये विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग की समाप्ति या पुनर्संरचना;
- (ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति की प्रक्रिया;
- (छ) फीस का पुनरीक्षण;
- (ज) विभिन्न पाठ्य विवरण में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन ; और
- (झ) समस्त अन्य मामले, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियमों से अन्यथा क्लस्टर विश्वविद्यालय के परिनियम शासी निकाय के अनुमोदन से प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबंध बोर्ड, समय-समय पर नए और अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों को इस धारा में इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में संशोधित या निरसित कर सकेगा :

परन्तु प्रबन्ध बोर्ड, क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर कोई राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय, लिखित में होगी और उस पर शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) प्रत्येक ऐसा परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों में कोई संशोधन अथवा निरसन सरकार के अनुमोदन के अधधीन होगा:

परन्तु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमान को प्रभावित करने वाला कोई भी परिनियम शैक्षणिक परिषद् के परामर्श के सिवाय नहीं बनाया जाएगा।

40. प्रथम अध्यादेश.—(1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबन्धों के अधधीन प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा जो यह क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसा अध्यादेश सभी मामलों या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात:—

- (क) क्लस्टर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;
- (ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण-पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनको प्रदान करने के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान करने तथा अभिप्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में साधन;
- (घ) अध्येत्तावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसूचकों (माडरेटर्स) की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;
- (च) क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (छ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (ज) विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;
- (झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग और सहयोजन की रीति; और
- (ट) ऐसे सभी अन्य मामले जिनका इस अधिनियम या तदधीन बनाए परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

(2) प्रबंध बोर्ड या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपांतरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों यदि कोई हों के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा और क्लस्टर विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों

सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

41. पश्चात्पूर्ती अध्यादेश.—(1) प्रथम अध्यादेश से भिन्न समस्त अध्यादेश विद्या परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् शासी निकाय को इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) विद्या परिषद्, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारणों, यदि कोई हो सहित अध्यादेश को प्रबंध बोर्ड को वापस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

42. विनियम.—क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राधिकरण प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अधीन उनके स्वयं और उन द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन हेतु इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे।

43. फीस संरचना.—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार तथा पुनरीक्षित कर सकेगा और इसे विनियामक आयोग द्वारा अनुमत पाठ्यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व इसके अनुमोदन के लिए सरकार को भेजेगा और सरकार, प्रस्ताव की प्राप्ति से तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी:

परन्तु प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फीस संरचना प्रास्पेक्टस के जारी करने से पूर्व विनिश्चित की जाएगी और उसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि फीस संरचना को शैक्षणिक वर्ष के दौरान पुनरीक्षित या उपांतरित (परिवर्तित) नहीं किया जाएगा।

(2) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों को सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीस,—

(क) (i) क्लस्टर विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए; और

(ii) क्लस्टर विश्वविद्यालय के विकास के लिए अपेक्षित बचत के लिए, स्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है।

(3) उप-धारा (2) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्, यदि सरकार का समाधान हो जाता है तो यह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना आगामी पुनरीक्षण तक विधि मान्य रहेगी।

44. प्रवेश.—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

(2) क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्यचर्या के साथ की और पाठ्येतर गतिविधियों में उपलब्धियों के आधार पर या

राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के किसी संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी:

परन्तु व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षण के माध्यम से ही दिया जाएगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों तथा विकलांग छात्रों के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटें (स्थान) राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान) उन छात्रों के लिए आरक्षित की जाएगी जो हिमाचल के स्थायी निवासी हैं।

(5) क्लस्टर विश्वविद्यालय पश्चात्तर्वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए या नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा जो प्रयोजन हेतु गठित निरीक्षण समिति की सिफारिशों के अध्यक्षीन होगा। यह तब तक लागू रहेगा जब तक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम बैच का प्रवेश नहीं हो जाता।

45. परीक्षाएं.—प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ पर और किसी भी दशा में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के तीस अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्, (अपश्चात्) क्लस्टर विश्वविद्यालय, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक समेस्टर बार या वार्षिक आधार पर स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए, परीक्षाओं की अनुसूची तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा:

परन्तु किसी भी कारण से यदि क्लस्टर विश्वविद्यालय इस अनुसूची का अनुसरण करने में असमर्थ है तो यह यथासाध्य शीघ्रता से एक रिपोर्ट जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्योरेवार कारण दिए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा। प्रबन्ध उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरण.—“परीक्षा अनुसूची” से प्रत्येक पेपर जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग है, के प्रारम्भ का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्योरे देने वाली सारणी अभिप्रेत है जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं के बारे में ब्योरा भी सम्मिलित होगा।

46. परिणामों की घोषणा.—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा:

परन्तु किसी कारण से यदि क्लस्टर विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणाम को अन्तिम रूप से घोषित करने में असमर्थ रहता है तो यह एक रिपोर्ट जिसमें विलम्ब के ब्योरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा। विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी करेगा जैसे यह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे।

(2) किसी भी परीक्षा या परीक्षा के परिणाम को केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय ने धारा 46 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है।

47. दीक्षांत समारोह.—क्लस्टर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में, उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिणियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में आयोजित किया जाएगा।

48. क्लस्टर विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.—क्लस्टर विश्वविद्यालय यथाशीघ्र संभव राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (एन० ए० ए० सी०) बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (एन० ए० ए० सी०) द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा और क्लस्टर विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को समय-समय पर नवीकृत करवाएगा।

49. क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी क्लस्टर विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को समस्त ऐसी प्रसुविधाएं तथा सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्य के निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित है।

50. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम भी सम्मिलित होंगे और उसे ऐसी तारीख को या के पश्चात् शासी निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाए और शासी निकाय अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी;

(2) उप-धारा (1) के अधीन शासी निकाय को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, शासी निकाय द्वारा किए गए संप्रेक्षणों यदि कोई हों, सहित राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जिसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाया जाएगा।

51. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा .—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और लेखों का वार्षिक कथन, जिसमें आय और व्यय तथा तुलनपत्र भी सम्मिलित है, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) आंतरिक लेखा परीक्षक समस्त लेखा पुस्तकों की समवर्ती लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा करेगा और इस प्रकार तैयार की गई ऐसी कालिक आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट वित्त समिति के समक्ष इसके विचार के लिए रखी जाएगी।

(3) क्लस्टर विश्वविद्यालय के लेखे प्रत्येक वर्ष ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त की जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म हो।

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट या इस प्रकार नियुक्त किसी फर्म या इस निमित्त अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित क्लस्टर विश्वविद्यालय के लेखों को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित कुलाधिपति के समक्ष रखा जाएगा जो उसके बाबत क्लस्टर विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो यह उचित समझे और प्रबन्ध बोर्ड ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा।

52. क्लस्टर विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियां.—(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अध्यापन के स्तर, परीक्षा और अनुसंधान या किसी अन्य मामले को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, ऐसी रीति में निर्धारण करवा सकेगी, जैसी विहित की जाए।

(2) सरकार, ऐसे निधारण के परिणाम की बाबत अपनी सिफारिशें सुधारक कार्रवाई हेतु क्लस्टर विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और क्लस्टर विश्वविद्यालय ऐसे सुधारक उपाय करेगा जो सिफारिशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) यदि क्लस्टर विश्वविद्यालय उप-धारा (2) के अधीन की गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समयावधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो सरकार ऐसे निर्देश दे सकेगी जैसे यह उचित समझे जो कि क्लस्टर विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

53. क्लस्टर विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियां .—(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सभी या किन्हीं अन्य विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं या हो सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा जोकि एक सत्र में अथवा हो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु तथापि नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

54. नियम बनाने की शक्ति.—इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व सम्बन्धित अधिनियम, जिसके अधीन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, के अन्तर्गत प्रवृत्त विनियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययनरत था, तब तक, जब तक कि ऐसी परीक्षाएं, क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित न करवा दी गई हों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पा सकेगा और उसे उक्त विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र जिसमें ऐसी परीक्षा के परिणामतः वह अर्हित हुआ है, प्रदत्त की जा सकेगी।

(ख) यदि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कोई परीक्षा आयोजित की है जिसका परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है किन्तु उससे सम्बन्धित, यथास्थिति, उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदत्त या जारी नहीं किया गया है अथवा ऐसी किसी परीक्षा का परिणाम उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है तो ऐसी परीक्षा क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई समझी जाएगी।

55. कठिनाई परीक्षाओं की बाबत व्यावृत्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकेगी जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

56. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), वृहत्तर दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अभिगम, समानता (समता) और उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर अभिप्राप्त करने हेतु एक दृक्शक्ति (विज्ञ) और मिशन के साथ विनियमित किया गया है। क्लस्टर विश्वविद्यालयों को स्थापित करना रूसा के अन्तर्गत विभिन्न संघटकों में से एक है जिसे विद्यमान महाविद्यालयों के साधनों (स्रोतों) को एकत्रित कर सृजित किया जाना है जिनके पास पर्याप्त शैक्षणिक भौतिक और तकनीकी अवसंरचनात्मक प्रसुविधाएं हैं। क्लस्टर में समस्त भागीदार महाविद्यालय पारिणामिकतः नए सृजित विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय बन जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय, मण्डी, राजकीय महाविद्यालय, बासा, राजकीय महाविद्यालय, द्रंग स्थित नारला और एम.एल.एस.एम. महाविद्यालय, सुन्दरनगर एक क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाने हेतु इकट्ठे (पूल) किए जा रहे हैं। क्लस्टर विश्वविद्यालय के सृजन के लिए संपरिवर्तन योजना के अन्तर्गत अवसंरचना में विस्तार, छात्रों की संख्या, प्रशासनिक, शैक्षणिक कृत्य और अनुसंधान क्रियाकलाप आदि की बाबत प्रक्रमवार योजना भी सम्मिलित है।

यह विधेयक, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सहबद्धता और अध्यापन और समुचित एवं प्रायिक अनुदेशों, प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयोजन के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन को परिकल्पित करता है। विधेयक, क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्देश्य तथा कुलाधिपति, कुलपति, रजिस्ट्रार, शिक्षक और क्लस्टर विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों हेतु अपेक्षित अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति का उपबन्ध करता है। इस विधेयक में विश्वविद्यालय के शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड आदि और उनकी शक्तियों और कृत्यों की बाबत भी उपबन्ध हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख : 2018

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2018

**THE SARDAR VALLABHBHAI PATEL CLUSTER UNIVERSITY, MANDI,
HIMACHAL PRADESH (ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2018**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to establish and incorporate a Cluster University in the State of Himachal Pradesh to be known as "the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh" for the

purpose of affiliating, teaching and ensuring proper and systematic instructions, training and resarch in the Higher Education system.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Academic Council” means the Academic Council of the University constituted under section 26.
- (b) “Board of Management” means the Board of Management constituted under section 24;
- (c) “campus” means the area of the Cluster University within which it is established;
- (d) “Cluster Colleges” means lead college and constituent colleges;
- (e) “college” means an institution maintained or admitted to its privileges by the Cluster University and includes Autonomous or Affiliated College;
- (f) “Cluster University” means “the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh” established under section 3;
- (g) “Constituent Colleges” means the colleges constituting the Cluster University and mentioned as such in section 3;
- (h) “employee” means any person appointed by the Cluster University and includes its teachers and other staff;
- (i) “Faculty” means, a faculty consisting of an allied group of subjects;
- (j) “fee” means monetary collection made by the Cluster University or its colleges, institutions or study centres, as the case may be, from the students by whatever name, it may be called, which is not refundable;
- (k) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (l) “Governing Body” means the Governing Body constituted under section 23;
- (m) “Head of Department” means the Head of the Cluster University Teaching Department in the rank of Professor or Associate Professor;
- (n) “Higher Education” means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

- (o) “hostel” means a place of residence for the students of the Cluster University, or its colleges, institutions and study centres, established or recognized to be as such, by the Cluster University;
- (p) “lead College” means the Vallabh Government College, Mandi, Himachal Pradesh;
- (q) “M.L.S.M. College” means the Maharaja Laxman Sen Memorial College, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh;
- (r) “notification” means a notification published in the Rajpatara (e-Gazette), Himachal Pradesh;
- (s) “off campus” means a centre of the Cluster University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the Cluster University’s complement of facilities, faculty and staff;
- (t) “Principal” means the Head of a College or a person duly appointed, for the time being;
- (u) “prescribed” means prescribed by rules, Statutes, Ordinances or Regulations made under this Act;
- (v) “regulating body” means a body established by the Central Government or the State Government, as the case may be, for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as, the University Grants Commission, the All India Council of Technical Education, the National Council of Teacher Education, the Council of Architecture, the Indian Council of Agriculture Research, the Distance Education Council, the Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutional Regulatory Commission etc.;
- (w) “Section” means a section of this Act;
- (x) “State” means the State of Himachal Pradesh;
- (y) “Statutes”, “Ordinances” and “Regulations” means respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the Cluster University made under this Act;
- (z) “student” means a person enrolled with the Cluster University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the Cluster University;
- (za) “Study Centre” means a centre established and maintained or recognized by the Cluster University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education; and
- (zb) “teacher” means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, and includes any other person imparting instructions in the Cluster University or in any College maintained or admitted to its privileges by the Cluster University.

3. Establishment and incorporation of the Cluster University.—(1) There shall be established in the State of Himachal Pradesh a Cluster University by the name “the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh”.

(2) The headquarter of the Cluster University shall be at Mandi with campuses at Sunder Nagar, Bassa and Darang at Narla. The Vallabh Government College, Mandi will be the lead college and the M.L.S.M. College, the Government Degree College, Bassa and the Government Degree College, Darang at Narla will be the constituent colleges of the Cluster University.

(3) The Cluster University shall be a teaching and affiliating University comprising of affiliated, autonomous and constituent Colleges and shall consist of a Chancellor, a Vice-Chancellor, a Governing body, a Board of Management and an Academic Council.

(4) The Cluster University shall be competent to raise its own infrastructure at Mandi and as also at its campuses. The academic resources of lead college and constituent colleges can be shared on mutual basis.

(5) The first Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first members of the Governing Body, the Board of Management, and all the persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership are hereby constituted a body corporate by the name of the Cluster University.

(6) The Cluster University shall have a perpetual succession and a common seal and shall sue or be sued by the same name.

4. The objects of the Cluster University.—The objects of the Cluster University shall include,—

- (a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;
- (b) to establish facilities for education and training;
- (c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;
- (d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;
- (e) to establish campus in the State;
- (f) to establish examination centres;
- (g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the Cluster University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies;
- (h) to set up off campus centres, subject to applicable rules and regulations;
- (i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the Cluster University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, management etc. routinely offered by conventional institutions; and
- (j) to establish broad-based, and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages.

5. Effects of establishment of the Cluster University.—On and from the date of commencement of this act,—

- (a) all properties, moveable and immoveable, belonging to the Himachal Pradesh University, in so far as jurisdiction of “the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh” is concerned, shall vest in the Cluster University;
- (b) all rights and liabilities of the Himachal Pradesh University, in so far as jurisdiction of the Cluster University is concerned shall be transferred to the Cluster University;
- (c) the Vice-Chancellor of the Himachal Pradesh University shall be deemed to have been appointed as the Vice-Chancellor of the Cluster University and shall hold office for a period of three months or till the time, the first Vice-Chancellor of the Cluster University is appointed under the provisions of this Act; and
- (d) the cluster colleges affiliated to the Himachal Pradesh University, shall stand automatically de-affiliated from the Himachal Pradesh University from the date of commencement of this Act and such colleges shall become the cluster colleges of “the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh”.

6. The Cluster University open to all classes and creeds.—The Cluster University shall be open to all persons irrespective of sex, caste, class or creed and it shall not be lawful for a Cluster University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to a certificate, diploma or degree of the Cluster University, or to serve as a teacher or to hold any office in the Cluster University, or to enjoy or exercise any privileges thereof, except where such test is specially prescribed by the Statutes, or, in respect of any particular benefaction accepted by the Cluster University, where such test is made a condition thereof by any testamentary or other instrument creating such benefaction.

7. Powers and functions of the Cluster University.—The Cluster University shall have the following powers and functions, namely :—

- (a) to provide for instructions in such branches of learning as the Cluster University may, from time to time, determine, and to make provisions for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;
- (b) to conduct innovative experiments in modern methodologies and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;
- (c) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;
- (d) to hold examinations and grant diplomas and certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (e) to affiliate various institutions falling in its jurisdictions;
- (f) to create such teaching, administrative and other posts as the Cluster University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

-
- (g) to appoint employees for the Cluster University. The salary of such employees shall be deposited in their bank accounts every month;
 - (h) to institute and award fellowships, studentships and prizes;
 - (i) to establish and maintain hostel including halls; recognise, guide, supervise and control hostels and halls not maintained by the Cluster University and other accommodations for the residence of the students, and to withdraw any such recognition;
 - (j) to regulate and enforce discipline among students and employees of the Cluster University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;
 - (k) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the Cluster University and its colleges;
 - (l) to determine the criterion for admission in the Cluster colleges and other affiliated or autonomous colleges under its jurisdiction;
 - (m) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;
 - (n) to develop and maintain twinning arrangement with centres of excellence in modern advanced technology outside the country for higher education training and research, including distance education subject to the provisions of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and the regulations made thereunder;
 - (o) to co-operate with any other Universities, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the Cluster University for such purposes, as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the Cluster University;
 - (p) to co-operate with other National and International institutions in conducting research and higher education subject to the provisions of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and the regulations made thereunder;
 - (q) to deal with property belonging to or vested in the Cluster University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the Cluster University;
 - (r) to enter into agreement for the incorporation in the Cluster University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;
 - (s) to demand and receive payment of such fees and other charges, as may be determined from time to time;
 - (t) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the Cluster University, and to invest funds in such manner as the Cluster University thinks fit;
 - (u) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the Cluster University may deem necessary;

- (v) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the Cluster University;
- (w) to accord recognition to the institutions and examinations for admission in the Cluster University;
- (x) to do all such other things, as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Cluster University;
- (y) to frame Statutes, Ordinances and Regulations for carrying out the objects of the Cluster University in accordance with the provisions of this Act;
- (z) to provide for dual degrees, diplomas or certificates *vis-à-vis* other Universities on reciprocal basis within and outside the country;
- (za) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the Cluster University;
- (zb) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and the Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and
- (zc) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

8. General Fund.—The Cluster University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

- (a) grants received from the Centre Government or the State Government;
- (b) fees and other charges received by the Cluster University;
- (c) any income received from consultancy and other works undertaken by the Cluster University;
- (d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and
- (e) all other sums received by the Cluster University.

9. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

- (a) for the payment of salary and allowances of the employees of the Cluster University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;
- (b) for the expenses to be incurred by the Cluster University for services availed including services like electricity, telephone etc.;
- (c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

- (d) for up keeping of the assets of the Cluster University;
- (e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the Cluster University;
- (f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;
- (g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made under this Act;
- (h) for the payment of the cost of audit of the funds created under this section;
- (i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which Cluster University is a party;
- (j) for the purpose of purchase of movable and immovable assets;
- (k) for the payment of any expenses incurred by the Cluster University in carrying out the purposes of this Act or the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder; and
- (l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the Cluster University :

Provided that no expenditure shall be incurred by the Cluster University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval :

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body :

Provided further that no portion of income and property of the Cluster University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit to the persons who were at any time or are members of the Cluster University or to any of them or any persons claiming through them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the Cluster University or for travelling or other allowances and such other charges.

10. Transfer of employees to the Cluster University.—(1) All officers and other employees of the Himachal Pradesh University holding office as such immediately before the commencement of this Act, shall, on such commencement be allowed to exercise an option for taking over their services by the Cluster University. Such options may be accepted by the Cluster University, keeping in view its requirement.

(2) The existing rights and service conditions of such employees who opt for service in the Cluster University shall be protected. Any service rendered by any such officer or employee in the

Himachal Pradesh University before transfer of services to the Cluster University shall be deemed to be service rendered in the Cluster University :

Provided that in the event of any dispute or difficulty in the matter of implementation of the provisions of this section, the matter shall be referred to the Government, whose decision shall be final.

11. Powers of the Chancellor to annul proceedings or decisions.—Without prejudice to the provisions of this Act, the Chancellor may, by order in writing, annul proceedings of the Cluster University or of its any authority or the decision of any officer of the Cluster University, which is not in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinances made there under :

Provided that before making such order, the Chancellor shall call upon the Cluster University, or as the case may be, its authority or the officer, to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the period specified by him in this behalf, shall consider the same.

12. Powers of the State Government to enquire.—The State Government may, cause any enquiry to be made by any of its officers or agency as it may direct on any matters connected with the administration and finances of the Cluster University or the institutions maintained by it and the report of such enquiry shall be sent to the State Government and the State Government after examining the same, shall forward the report to the Chancellor and may also recommend any action including removal of the Vice- Chancellor, as the case may be, if in its opinion there exist such circumstances as are contained in sub-section (5) of section 15 and the Chancellor may take action accordingly :

Provided that before taking such action, the Chancellor shall afford reasonable opportunity of being heard to the Vice-Chancellor.

13. Officers of the Cluster University.—The following shall be the officers of the Cluster University, namely:—

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) the Finance Officer;
- (d) the Registrar;
- (e) the Controller of Examinations; and
- (f) such other persons as may be declared by the Statutes to be the officers of the Cluster University.

14. The Chancellor. —(1) The Governor of Himachal Pradesh shall be the Chancellor of the Cluster University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the Cluster University and its Governing body. He shall, when present, preside over at any convocation of the Cluster University.

(3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by or under this Act.

(4) The Chancellor may delegate to the Vice-Chancellor such of his powers under this Act or Statute, as he may specify.

15. Appointment of the Vice-Chancellor.—(1) A person of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment shall be appointed as Vice-Chancellor of the Cluster University as per the norms of the University Grants Commission.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government. The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried Officer of the Cluster University.

(3) Except as expressly provided in sub-sections (4) and (8), the Vice-Chancellor shall, subject to the pleasure of the Chancellor, hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall, on the expiry of the term of his office, be eligible for re-appointment to that office :

Provided that the Vice-Chancellor shall, notwithstanding the expiry of the said period of three years, continue to hold his office until his successor is appointed and enters upon his office.

(4) No person shall be appointed, or if appointed shall hold or continue to hold office, as Vice Chancellor if he has attained the age of sixty five years.

(5) The Chancellor, by general or special order, may place the Vice-Chancellor under suspension,—

- (a) where an enquiry under sub-section (8) is contemplated or is pending; or
- (b) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the Cluster University; or
- (c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or
- (d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial like apprehended tempering with documents or to influence witnesses etc..

(6) The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary.

(7) Where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows,—

- (a) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, nor directly attributable to the Vice-Chancellor;

- (b) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor; and
- (c) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or the decreased amount, as the case may be, of subsistence allowance admissible under clause (a) and (b).

(8) No payment under sub-section (6) shall be made unless the Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(9) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him or if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the Cluster University, the Chancellor may, after making such enquiry as he deems proper and in consultation with the State Government, by order remove the Vice-Chancellor :

Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 12, no further enquiry shall be necessary under this sub-section but the Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.

(10) The Vice-Chancellor may resign by a notice of one month, in writing under his hand, addressed to the Chancellor. The Chancellor may waive off the period of notice and accept the resignation forthwith in consultation with the State Government.

16. Powers and functions of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the Cluster University. He shall, in the absence of the Chancellor preside over the convocation of the Cluster University and shall confer degrees on persons entitled to receive them.

(2) The Vice-Chancellor, by virtue of his office, shall be the Chairperson of the Board of Management and the Academic Council and also the Chairperson of any other Authority or Body of the Cluster University of which he may be a member, but shall not be entitled to vote there except in case of a tie.

(3) The Vice-Chancellor shall have the powers to convene or cause to be convened the meeting of the Board of Management, the Academic Council and the Finance Committee.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise the general control over all the affairs of the Cluster University, Officers, Teachers, employees and shall be responsible for the due maintenance of discipline.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and shall exercise all such powers as may be necessary in this behalf.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and discharge such other duties, as may be assigned to him by this Act or the Statutes or delegated to him by the Board of Management or the Chancellor.

17. Financial Officer.—(1) The Finance Officer shall be whole time officer of the Cluster University and shall be appointed by the State Government in consultation with the Chancellor;

(2) The salary and allowances payable to the officer shall be as specified in the conditions of service.

(3) The Finance Officer shall exercise such powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Regulations.

18. Appointment and duties of the Registrar.—(1) There shall be a Registrar who shall be an *ex-officio* Member Secretary of the Governing Body and the Board of Management.

(2) To be eligible for the selection to the post of the Registrar, a person must have the following minimum qualifications,—

- (a) Masters degree in any faculty with five years experience as a Principal in a College affiliated to or maintained by the Cluster University; or
- (b) teaching experience as an Associate Professor in a University, with five years administrative experience; or
- (c) Masters degree in any faculty with five years experience as a Deputy Registrar or in an equivalent post in a University or Board of School Education; or
- (d) Masters degree in any faculty with five years administrative experience in the Central or State Government Administrative Service (on deputation, if necessary); or
- (e) Masters degree or its equivalent with at least 10 years administrative experience in a University or an educational institution.

(3) The Registrar shall be paid such salary, as may be determined by the Board of Management at the time of appointment.

(4) The Registrar of the Cluster University shall be the custodian of the records, the common seal and such other property of the Cluster University concerned as the Board of Management may commit to his charge.

(5) The Registrar of the Cluster University shall issue under his signatures, notice convening meetings of the Governing Body, the Board of Management and the Boards of Research Studies of the Cluster University.

(6) The Registrar shall, in the execution of his duties, be subject to the immediate direction and control of the Vice-Chancellor and shall render such assistance to the Vice-Chancellor as may be required by him in the performance of his official duties.

(7) The Registrar of the Cluster University shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes and the Regulations.

(8) The Registrar may, with the previous approval of the Vice-Chancellor, delegate any of his powers prescribed under the provisions of this Act, or the Statutes or the Regulations made there under to any other officer of the Cluster University.

19. Controller of Examinations.—(1) In addition to the Registrar, the Board of Management may appoint a person, qualified to be appointed as Registrar, to hold the office of the Controller of Examinations, either temporarily or permanently.

(2) The terms and conditions for the appointment and the salary to be paid to the Controller of Examinations shall be as determined by the Board of Management at the time of appointment.

(3) The Controller of Examinations shall perform the duties of the Registrar in regard to the arrangements for the conduct of examinations and Board of Management may also assign to him such other duties and functions as it may think proper.

(4) The Controller of Examinations shall exercise his powers and discharge his duties under the immediate direction of the Vice-Chancellor.

(5) Subject to directions of the Board of Management, the Controller of Examinations shall make all arrangements for the conduct of examinations of the Cluster University.

(6) Subject to the directions of the Board of Management, the Controller of Examinations shall arrange all items of the examination work such as dispatch and transit of answer-books and question papers, evaluation of answer scripts, tabulation of results, complaints against question papers set for the examinations, use of unfair means, publication, and re-checking or re-evaluation of results and other related matters.

20. Dean of Faculty and Dean of Student Welfare.—(1) There shall be a Dean for each Faculty and Dean of Student Welfare in each constituent college, who shall be appointed, in such manner, as may be prescribed by the Statutes.

(2) The salary and allowances payable to the officers as specified in sub-section (1), the conditions of service and the powers to be exercised and the functions to be performed by them shall be, such as, may be prescribed in the Statutes.

21. Other Officers.—(1) The Cluster University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the Cluster University and their powers and functions shall be, such as, may be prescribed by the Statutes.

22. Authorities of the Cluster University.—The following shall be the authorities of the University, namely :—

- (a) the Governing Body;
- (b) the Board of Management;
- (c) the Academic Council;
- (d) Finance Committee;
- (e) Building and Works Committee;
- (f) Board of Studies; and

- (g) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

23. The Governing Body. —(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

- (a) the Chancellor;
 - (b) the Vice-Chancellor;
 - (c) the Administrative Secretaries of Finance and Education Departments of the State Government;
 - (d) the Director of the Higher Education, Himachal Pradesh;
 - (e) the Principals of all the constituent colleges of the Cluster University;
 - (f) two Deans of the faculties of the Cluster University concerned nominated by the Chancellor by rotation;
 - (g) two Principals of the autonomous or affiliated colleges to be nominated by the Chancellor in consultation with the Vice-Chancellor;
 - (h) two nominees of the Chancellor;
 - (i) two persons, to be nominated by the Government;
 - (j) two representatives of the Himachal Pradesh Legislative Assembly from amongst its members to be elected in the manner as the Speaker of the said Assembly may direct; and
 - (k) the Registrar shall be ex-officio Member Secretary.
- (2) The Governing Body shall be the supreme authority of the Cluster University.
- (3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—
- (a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the Cluster University by using all such powers as are provided by this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder;
 - (b) to review the decisions of other authorities of the Cluster University, in case, they are not in conformity with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules made thereunder;
 - (c) to approve the budget and annual report of the Cluster University;
 - (d) to lay down the policies to be followed by the Cluster University;
 - (e) to recommend to the Government about the voluntary liquidation of the Cluster University, if a situation arises when smooth functioning of the Cluster University does not remain possible inspite of all efforts; and

- (f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.
- (4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.
- (5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be eleven.

24. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Administrative Secretaries of Finance and Education Departments of the State Government;
- (c) the Director of the Higher Education, Himachal Pradesh;
- (d) all the Principals of constituent colleges;
- (e) two Deans of faculties by rotation on the basis of seniority;
- (f) two eminent academicians, to be nominated by the Chancellor;
- (g) two persons from amongst the Professors or Associate Professors by rotation on the basis of seniority;
- (h) one senior most representative of non-teaching employees;
- (i) the President of Student Union of the University; and
- (j) the Registrar shall be the Member-Secretary.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be, prescribed by the Statutes.

- (4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.
- (5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be ten.

25. Powers and functions of the Board of Management.—The Board of Management shall have the following powers, namely:—

- (a) to make Statutes under this Act, and to amend and repeal the same;
- (b) to make the Regulations;
- (c) to approve the financial estimates framed by the Finance Committee;
- (d) to approve plans of development and expansion of the Cluster University;
- (e) to consider and pass resolutions on the annual reports;

- (f) save as otherwise provided in this Act, to appoint officers and teachers not below the rank of the Joint Registrar, Deputy Librarian and Associate Professors and to define their duties :

Provided that no officer or teacher shall be appointed by the Board of Management until provision has been made for his salary in the approved budget of the Cluster University:

Provided further that all the appointments to the posts of officers or teachers referred to in this section, shall be, made by the Board of Management on such terms and conditions, as may be prescribed, by the Statutes:

Provided further that the Vice-Chancellor may make appointments of teachers referred to in this section as a temporary measure for a period not exceeding six months to carry on the work and if the recommendations of the Selection Committee are not received within a period of six months, the Vice-Chancellor may extend appointment, if any, made by him, for the duration of the academic session with the approval of the Board of Management;

- (g) to exercise such other powers and to perform such other functions, as may be conferred or imposed upon it, by this Act or the Statutes;
- (h) to constitute committees for specific purposes and to assign such duties to them, as it deems fit;
- (i) to delegate such of its powers to any officer or authority of the Cluster University, as it may deem fit; provided that such delegation is made by a majority of not less than two third of the members of the Board of Management; and
- (j) to exercise such other powers of the Cluster University as are not otherwise provided for in this Act, and Statutes and Regulations made thereunder.

26. The Academic Council.—The Academic Council of the Cluster University shall consist of the following :—

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) Principals of all the Constituent Colleges;
- (c) two Principals of the Autonomous colleges or Affiliated Colleges nominated by the Vice-Chancellor;
- (d) the Deans of Faculties of the Cluster University;
- (e) four Professors or Associate Professors from constituent colleges of the Cluster University representing subjects other than those represented by the Principals, nominated by the Vice-Chancellor;
- (f) two Professors or Associate Professors from the Autonomous Colleges or Affiliated Colleges of the Cluster University representing subjects other than those represented by the Principals, nominated by the Vice-Chancellor; and
- (g) two Professors or Associate Professors of the Universities established in the State, nominated by the Vice-Chancellor.

27. Powers and functions of the Academic Council.—(1) The Academic Council of the Cluster University shall have the following powers and functions namely,—

- (a) to control and regulate the standards of teaching and examinations in the Cluster University;
- (b) to specify the syllabi and the courses of study for all the examinations held by the Cluster University;
- (c) to formulate, modify or revise, subject to control of the Governing Body and the Board of Management, schemes for the constitution of Faculties and for the assignment of subjects to the Faculties;
- (d) to nominate teachers or specialists to the Faculties;
- (e) to promote research within the Cluster University and to acquire reports of such research from persons engaged therein;
- (f) to advise the Governing Body and the Board of Management on academic matters; and
- (g) to make proposals to the higher authorities of the Cluster University for supplementing the teaching provided in the constituent, Autonomous and Affiliated Colleges.

(2) The Academic Council of the Cluster University shall have the powers to appoint a Standing Committee of the members of the Academic Council of which not less than two third shall be the Cluster University Professors, Associate Professors, Principals, or Teachers of constituent, autonomous and affiliated colleges not below the rank of a Professor or Associate Professor and to delegate to it such of its powers as it may deem fit. The Standing Committee shall have power to invite experts, whenever necessary, for advice on a particular matter under consideration.

28. Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely:—

- | | |
|--|--------------|
| (a) the Vice-Chancellor | Chairperson; |
| (b) the Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Department of Finance or his nominee not below the rank of Special Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh | Member; |
| (c) the Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Department of the Higher Education or his nominee not below the rank of Special Secretary (Higher Education) to the Government of Himachal Pradesh. | Member; |
| (d) two members of the committee to be nominated by the Chairperson from the Principals of constituent colleges | Member; |

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| (e) the Registrar | Member; and |
| (f) the Finance Officer | Member
Secretary. |

(2) The Finance Committee shall ordinarily meet four times in a year preferably before the meeting of the Board of Management.

(3) The meetings of the Finance Committee shall be convened by the Chairperson.

(4) Four members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting.

(5) The Finance Committee shall advise the Board of Management on all financial matters and shall have the powers,—

- (a) to examine the Annual Accounts and Budget Estimates of the Cluster University and to advise the Board of Management thereon;
- (b) to examine the Annual Audit and Action Taken Report;
- (c) to review the financial position of the Cluster University and to make recommendations to the Board of Management on all matters relating to the finances of the Cluster University;
- (d) to examine and make recommendations to the Board of Management on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the Budget, or which involves expenditure in excess of the amount provided in the Budget;
- (e) to consider all proposals relating to the revision of pay scales, fixation of honorarium to members of various Committees, travelling allowances, fee for various courses to be charged from the students and remuneration to experts, paper setters, examiners, evaluators etc.; and
- (f) to exercise such other powers and to perform such other functions as may be prescribed by the Regulations.

29. Condition for affiliation.—The conditions for affiliation of other colleges to the Cluster University shall be, such as may be prescribed by the Statutes.

30. Pension, insurance and provident fund.—(1) The Cluster University shall constitute, for benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees, in such a manner and subject to such conditions, as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance and provident fund, as it may deem fit.

(2) Where any such pension, insurance or provident fund has been so constituted or where any such pension, insurance or provident fund has been constituted by a college under the rules made with the approval of the State Government.

31. Building and Works Committee.—There shall be Building and Works Committee and its constitution and powers shall be such as may be prescribed by the Statutes.

32. Board of Studies.—(1) In a Cluster University there shall be a Board of Studies for a subject or subjects comprised in a faculty in accordance with the provisions as may be prescribed by the Regulations.

- (2) Each Board of Studies shall consist of the following members namely:—
- (a) the Professors of the Department of the Cluster University in the subject assigned to the Board of Studies, if there are any;
 - (b) the Associate Professors of the Department of the Cluster University, in the subject assigned to the Board of Studies, if there are any;
 - (c) the senior most Associate Professor, in case there is no Professor from the Department in the subject concerned from each constituent college;
 - (d) the senior most Associate Professor, in case there is no Professor from the Department in the subject concerned from each constituent Autonomous or Affiliated college;
 - (e) one person who is not a teacher in any affiliated or constituent college of the Cluster University or a Department of the Cluster University, nominated by the faculty:

Provided that where it is found that the Board of Studies in any subject is not adequately represented, the Vice-Chancellor may authorize co-option of teachers in the subject from colleges or the Cluster University Departments to the extent of three members.

(3) Head of the Cluster University Department senior to all other Professors in the Department shall be the Convener and in case there is no Professor in Department of the the Cluster University, in a subject, the senior most member of the Board of Studies shall be the Convener of the Board.

(4) The terms and conditions of the office of the members of a Board of Studies shall be such, as may be prescribed by the Statutes, in this behalf.

(5) Where a Board of Studies comprises more than one subject, the Vice-Chancellor may constitute the same on similar lines so as to ensure that each subject comprised in the Board is adequately represented on it :

Provided that the total number of members of the Boards of Studies so constituted, does not exceed ten.

(6) Notwithstanding anything contained in this section or any Statute or Regulation made thereunder, the Cluster University may have a Board of Post-graduate Studies for each subject in which Post-graduate instructions are imparted, and a Board of Under graduate Studies for the subject or subjects in which under-graduate instructions are imparted. The composition of these Boards shall be such, as may be determined by the Chancellor, in consultation with the Vice-Chancellor.

33. Powers and functions of the Board of Studies.—(1) It shall be the duty of the Board of Studies to make suggestions to the faculty concerned regarding,—

- (a) syllabi for the subjects or subjects of instruction;
- (b) combination of subjects permitted in various courses;
- (c) identification of new courses of study;
- (d) appointment of paper-setters and examiners; and

(e) any matter referred to it by the Academic Council or the faculty concerned.

(2) The Boards of Studies shall also discharge such other functions, as may be prescribed by the Statutes or the Regulations.

34. Other Authorities of the Cluster University.—The constitution, composition, powers and functions of other authorities of the Cluster University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

35. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the Cluster University, if he—

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or
- (d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or
- (e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

36. Proceedings of the Cluster University not invalidated by vacancies.—No act done, or proceeding taken, under this Act by any authority of the Cluster University shall be invalid merely on ground,—

- (a) of any vacancy or defect in the constitution of the authority; or
- (b) of any defect or irregularity in nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or
- (c) of any defect or irregularity in such act or proceedings, not affecting the merits of the case.

37. Committees.—The authorities or officers of the Cluster University may constitute committees with such terms of reference, as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees. The constitution of such committees and their duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

38. The First Statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the First Statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the Cluster University, as may be constituted from time to time;
- (b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;
- (c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and the Chief Finance and Accounts Officer, and their powers and functions;

- (d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;
- (e) the procedure for arbitration in case of disputes between the employees, students and the Cluster University;
- (f) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;
- (g) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;
- (h) provisions regarding fees to be charged from the students; and
- (i) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The First Statutes shall be made by the Government and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

39. The subsequent Statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent Statutes of the Cluster University may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) creation of new authorities of the Cluster University;
- (b) accounting policy and financial procedure;
- (c) representation of teachers in the authorities of the Cluster University;
- (d) creation of new departments, and abolition or restructuring of the existing department;
- (e) institution of medals and prizes;
- (f) creation and abolition of posts and procedure for their abolition;
- (g) revision of fees;
- (h) alteration of the number of seats in different syllabi; and
- (i) all other matters which under the provisions of this Act are to be prescribed in the Statutes.

(2) The Statutes of the Cluster University other than the First Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes, so made in the manner hereinafter provided :

Provided that Board of Management shall not make any Statute or any amendment of the Statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the Cluster University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such Statute or addition to Statutes or any amendment or repeal of Statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no Statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instructions, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

40. The First Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or Statutes made thereunder, the Board of Management may make such First Ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the Cluster University and such Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the admission of students to the Cluster University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the Cluster University;
- (c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (f) fees to be charged for various courses, examinations, degrees and diplomas of the Cluster University;
- (g) the conditions of residence of the students in the hostels of the Cluster University;
- (h) provision regarding disciplinary action against the students;
- (i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the Cluster University;
- (j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of the higher education; and
- (k) all other matters which by this Act or Statutes made thereunder are required to be prescribed by the Ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the Ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the Ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the Ordinances of the Cluster University with or without such modifications and then the Ordinances, as approved by the Governing Body, shall come into force.

41. The subsequent Ordinances.—(1) All Ordinances other than the first Ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the Ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the Ordinances alongwith such reasons, if any. The Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the Ordinances with or without such modification and then the Ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

42. Regulations.—The authorities of the Cluster University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, Statutes and the Ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

43. Fee structure.—(1) The Cluster University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the Cluster University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner, as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the Cluster University; and

(ii) the savings required for the further development of the Cluster University; and

(b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

44. Admissions.—(1) Admission in the Cluster University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the Cluster University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-

curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at the State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the Cluster University for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least twenty five percent seats for admission to each course shall be reserved for students who are the *Bonafide* Himachalis.

(5) The Cluster University shall seek prior approval, as may be prescribed, in the Statutes for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses, which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

45. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the Cluster University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, the Cluster University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Board of Management giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examinations. The Board of Management may, thereon, issue such directions, as it may deem fit, for better compliance in future.

Explanation.—‘Schedule of Examinations’ means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a scheme of examinations and shall also include the details about the practical examinations.

46. Declaration of results.—(1) The Cluster University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course, and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the Cluster University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Board of Management. The Board of Management may, thereon, issue such directions, as it may deem fit, for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the Cluster University has not followed the Schedule of Examinations as stipulated in section 46 and in this section.

47. Convocation.—The convocation of the Cluster University shall be held in every academic year in the manners, as may be prescribed, in the Statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

48. Accreditation of the Cluster University.—The Cluster University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as soon as possible and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the Cluster University about the grade provided by NAAC to the Cluster University and the Cluster University shall get renewed such accreditation from time to time.

49. The Cluster University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.—Notwithstanding anything contained in this Act, the Cluster University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and it shall provide such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties for carrying out their functions.

50. Annual report.—(1) The annual report of the Cluster University shall be prepared under the directions of the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the Cluster University towards the fulfillment of its objects and shall be submitted to the Governing body on or after such date, as may be prescribed by Statutes and the Governing Body, shall consider the report in its meeting.

(2) A copy of the annual report, as submitted to the Governing Body under sub-section(1), alongwith the observations, if any, made by the Governing Body there on shall be submitted to the State Government, which shall, as soon as may be cause, the same to be laid before the State Legislature.

51. Annual accounts and audit.—(1) The Cluster University shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statement of Accounts, including Income and Expenditure and the Balance Sheet, in such form, as may be prescribed.

(2) An Internal Auditor shall audit the accounts of the Cluster University to ensure concurrent audit of all books of accounts and such periodical internal audit report so prepared shall be placed before the Finance Committee for its consideration.

(3) The accounts of the Cluster University shall be audited every year by an Auditor, who shall be the Chartered Accountant, as defined in the Chartered Accountant Act, 1949, (38 of 1949) or a firm of Chartered Accountant, to be appointed by the Board of Management.

(4) The accounts of the Cluster University together with audit report thereof certified by the Chartered Accountant or firm so appointed under sub-section (3), shall be placed before Chancellor, who may issue such directions to the Cluster University in respect thereof, as it deems fit, and the Board of Management shall comply with such directions.

52. Powers of the Government to inspect the Cluster University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examinations and research or any other matter relating to the Cluster University, the Government may cause an assessment to be made, in such manner, as may be prescribed.

(2) The Government shall communicate to the Cluster University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the Cluster University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the Cluster University fails to comply with the recommenda-tions made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions, as it may deem fit, which shall be binding on the Cluster University.

53. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any other matters which are required to be, or may be prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions immediately following, the Legislative Assembly makes any modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done.

54. Saving as to certain examinations.—Notwithstanding anything contained in this Act, or in the Statutes or Ordinances,—

- (a) any student who, immediately prior to the commencement of this act, was studying for a degree, diploma or certificate, as the case may be, of Himachal Pradesh University in accordance with the regulation in force under the respective Act under which the Himachal Pradesh University was established, may until such examinations are provided by the Cluster University, be admitted to the examination of Himachal Pradesh University and be conferred the degree, diploma or certificate, as the case may be, of the said university, for which he qualified on the result of such examination;
- (b) if the Himachal Pradesh University has held any examination, the result of which have been published but the degree, diploma or certificate, as the case may be, relating there to have not been conferred or issued or the result of any such examination has not been published by the said University then such examination shall be deemed to have been held by the Cluster University.

55. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

56. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for the time being in force.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA) has been formulated with a vision and mission to attain higher level of access, equity and excellence in the State Higher Education system with greater efficiency, transparency, accountability and responsiveness. Establishing the Cluster

Universities, is amongst one of the components under the RUSA is to be created by pooling the resources of the existing colleges that have adequate academic, physical and technical infrastructural facilities. All the participating colleges in the cluster will eventually become constituent colleges of the newly created university.

In Himachal Pradesh Vallabh Government College Mandi, the Government Degree College Bassa, the Government Degree College Drang at Narla and the M.L.S.M. College Sundernagar are being pooled to make a Cluster University. The conversion plan for the creation of Cluster University includes stage wise planning with regard to expansion in infrastructure, number of students, administrative, academic functions and research activities, etc.

This Bill envisages the establishment and incorporation of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh for the purpose of affiliating and teaching, and ensuring proper and systematic instructions, training and research in the Higher Education System. The Bill provides for the objectives of the Cluster University, appointment of the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Registrar, teachers and other staff required for functioning of the Cluster University. This Bill has provisions with regards to the Governing Body and Board of Management etc. of the University and their powers and functions.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ)

Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The....., 2018.

ब अदालत श्री देवी राम तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नादौन, तहसील नादौन,
जिला हमीरपुर, हि० प्र०

अनिल कुमार पुत्र श्री रविंदर, वासी लोहारली, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अनिल कुमार पुत्र श्री रविन्दर सिंह, वासी लोहारली, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि अभिनव ठाकुर का जन्म दिनांक 28-09-2014 को लोहारली, डाकघर झलान, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र का जन्म 28-09-2014 ग्राम पंचायत झलान के रिकार्ड में दर्ज न हुआ है तथा अब उक्त जन्म तिथि 28-09-2014 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत झलान में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म दिनांक 28-09-2014 को ग्राम पंचायत झलान के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-04-2018 को तहसील नादौन, जिला हमीरपुर को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी।